नई दिल्ली
अप्रैल 17, 2018

<u>अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह के रोकथाम में एनसीपीसीआर का प्रभावी कदम</u>

प्रतिवर्ष अक्षय तृतीय के अवसर पर भारत के कई राज्यों में बाल विवाह का आयोजन किया जाता है| इन राज्यों में राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड, उत्तरप्रदेश,तथा उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र शामिल है| क्योकि उन क्षेत्रों में शिक्षा, जागरुकता तथा कानूनी ज्ञान की कमी के कारण इसके रोकथाम का कोई व्यापक उपाय अब तक नहीं किया जा सका है।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, 21 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के विवाह को प्रतिबंधित करता है। इससे कम आयु में विवाह करने पर वह गैरकानूनी माना जाएगा और वह बाल विवाह के दायरे में आएगा।

इस मामले को गम्भीरता को देखते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने कुछ प्रभावी कदम उठाने का फैसला लिया है। आयोग के सदस्य यशवंत जैन ने विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाहों की पूर्णत: रोकथाम के लिये यथा संभव प्रयास करने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी राज्यों के सचिवों से आयोग (एनसीपीसीआर) को अपेक्षा है कि वह इस अवसर पर बाल विवाहों के आयोजन पर हतोत्साहित करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

##